इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक-13.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते पत्नी की गला दबा कर हत्या करने वाले पति को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते पत्नी की गला दबा कर हत्या करने वाले पति को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा तथा 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.12.2012 को वादी सुरेशचन्द्र पुत्र स्व0 बेचेलाल निवासी मुकुन्दपुरा थाना चौबिया द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीर दी गयी कि उसकी पुत्री की हत्या उसके पति द्वारा गला दबा कर दी गयी। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 532/12 धारा 302/120B पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष सिविल लाइम श्री डी0के0 सिसोदिया द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम पैरोकार का0 अमित कुमार एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 संजीव चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 13.02.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में मा0 न्यायालय ADJ -10/ स्पेशल गैंगस्टर कोर्ट जनपद इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **सुनील कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी शान्ती कालोनी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।**